कार्यालय प्रति

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

कार्यवाही विवरण

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 89 वीं बैठक दिनांक 19 सितंबर 2014 को अपरान्ह पूर्व 11.00 बजे क्षेत्रीय केन्द्र कार्यालय, जयपुर में आयोजित की गई, बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गयाः–

01.	प्रो0 विनय पाठक कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	अध्यक्ष
02.	प्रो0 एम0 एम0 सालुंके कुलपति यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्रा मुक्त वि0वि0, नासिक।	सदस्य
03.	श्री श्याम एस0 अग्रवाल अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) राज0 सरकार, जयपुर।	सदस्य
04.	श्री मंजीत सिंह संभागीय आयुक्त जयपुर। (प्रतिनिधी प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 सरकार)	सदस्य
05.	प्रो0 श्रीमती मंजूलिका श्रीवास्तव दूरस्थ शिक्षा विभाग इंदिरा गांधी रा0मु0वि0वि0, नई दिल्ली।	सदस्य
06.	प्रो0 प्रदीप साहनी स्कूल आफ सोशियल सांइस इंदिरा गांधी रा0मु0वि0वि0, नई दिल्ली।	सदस्य
07.	प्रो0 एल0 आर0 गुर्जर आचार्य, राज0 विज्ञान वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सदस्य
08.	डा0 अरविंद पारीक निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सदस्य
09.	श्री बी0एल0 कोठारी कुलसचिव वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।	सचिव

P.T.O.

बैठक के प्रारंभ में माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रबंध मंडल की गत बैठक से वर्तमान बैठक के मध्य विश्वविद्यालय में हुई प्रगति रिपोर्ट का प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जिसमें भावी योजनाओं के सम्बन्ध में भी प्रकाश डाला गया, सदन द्वारा विश्वविद्यालय की प्रगति एवं भावी योजनाओं के सम्बन्ध में कुलपति महोदय द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर संतोष व्यक्त करते हुए आई0टी0 के इनिशेटिव के लिए माननीय कुलपति महोदय की सराहना भी गई गई।

आवश्यक गणापूर्ति की बाद माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यसूची विवरण में उल्लेखित बिंदुओं पर चर्चा बाद निम्नानुसार निर्णय किए गए:–

89/01 प्रबंध मंडल की 88वीं बैठक दिनांक 14 जून 2014 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न प्रबंध मंडल की 88वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

89/02 प्रबंध मंडल की 88वीं बैठक दिनांक 14 जून 2014 के निर्णयों की अनुपालना की सूचना।

अनुपालना प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त करते हुए 88वी बैठक के निर्णय संख्या 88/19(3) पर यह व्यवस्था दी गई कि डा0 आर0 वी0 व्यास द्वारा इंदिरा गांधी रा0मु0 वि0वि0 तथा अन्य वि0वि0 में की गई सेवा को जोड़ते हुए देय पेंशन राशि की गणना कर आडिट आक्षेप के क्रम में विस्तृत तथ्यात्मक टिप्पणी, इस संस्तुती के साथ कि "उनकी सेवाऐं जोड़ी जांए" प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाए, तथा इसे पुनः प्रबंध मंडल में रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

89/03 राज्य सरकार के नियमों की पालना के संदर्भ में राज्य सरकार से प्राप्त सहमति के क्रम में समिति गठन का प्रस्ताव।

राज्य सरकार के पत्र की पालना में सदन द्वारा प्रबंध मंडल के सदस्य प्रो0 प्रदीप साहनी की अध्यक्षता में समिति गठन का निर्णय किया गया , जिसमें विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं नियंत्रक (वित्त) सदस्य तथा उप कुलसचिव (विधि) को सदस्य सचिव के रूप में रखा गया।गठित समिति की रिपोर्ट आने पूर्व बैठक में आर0एस0आर0 व अन्य नियम लागू किए जाने सम्बन्धी निर्णय को स्थगित रखते हुए विश्वविद्यालय का कार्य 88वीं बैठक से पूर्व की स्थिति की अनुसार ही किए जाने का निर्णय लिया गया।

89/04 पूर्व पदों को समाप्त करते हुए नवीन पदों के सृजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त सहमति अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ।

पूर्व पदों को समाप्त करते हुए उनके स्थान पर निम्नलिखित नवीन पदों के सृजन के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त सहमति का अनुमोदन किया गयाः—

1. सहायक कुलसचिव (06 पद) वेतन श्रृंखला रूपये 15600—39100 ग्रेड पे 5400 रू0
2. सिस्टम एनालिस्ट एण्ड डिजाईन मैनेजर (01 पद) वेतन श्रृंखला रूपये 15600—39100 ग्रेड पे 5400 रू0
3. प्रोग्रामर (01 पद) वेतन श्रृंखला रूपये 9300—34800 ग्रेड पे 4800 रू0

89/05 ''मशीन विद मेन''रखे जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अनुमति अवलोकनार्थ।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.08(8)शिक्षा—4/2002 पार्ट दिनांक 28.07.14 वित्त विभाग आई0डी0 संख्या 101402958 दिनांक 28.07.2014 (प्रति संलग्न, परि0—01) विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुएके तहत मशीन विद मेन के 30 पद वित्त विभाग के आदेश दिनांक 01.05.2014 (प्रति संलग्न, परि0—2)के अनुसार भरे जाने की सहमति को प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

89/06 सहायक कुलसचिव के पद पर भर्ती हेतु योग्यता एवं प्रक्रिया का निर्धारण।

सहायक कुलसचिव पद पर भर्ती के लिए प्रक्रिया एवं योग्यता निर्धारित करने बाबत् गठित समिति के प्रतिवेदन को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गयाः—

''भर्ती के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत वेटेज साक्षात्कार के लिए रखा जावे यदि समिति द्वारा इससे अधिक वेटेज प्रस्तावित किया गया है तो उसे लिखित परीक्षा में जोड़कर निम्नानुसार वेटेज रेखें:— ''

सहायक कुलसचिव	(a) 35% Academic Qualification (details break up as per agenda) (b) 50% for written Examination (minimum 50% marks is compulsory for qualifying for interview) (c) 15% for Interview

P.T.O.

उपरोक्त अनुमोदन के उपरांत भविष्य में किसी भी पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु साक्षात्कार का वेटज 15 प्रतिशत से अधिक नहीं रखे जाने का भी निर्णय किया गया।

89/07 सिस्टम एनालिस्ट एवं डिजाइन मैनेजर तथा प्रोग्रामर के पद पर भर्ती हेतु योग्यता एवं प्रक्रिया का निर्धारण।

सिस्टम एनालिस्ट एवं डिजाइन मैनेजर तथा प्रोग्रामर के पद पर भर्ती के लिए प्रक्रिया एवं योग्यता निर्धारित करने बाबत् गठित समिति के प्रतिवेदन को निम्नलिखित संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गयाः–

"भर्ती के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत वेटेज साक्षात्कार के लिए रखा जावे यदि समिति द्वारा इससे अधिक वेटेज प्रस्तावित किया गया है तो उसे लिखित परीक्षा में जोड़कर निम्नानुसार वेटेज रखेंः–

सिस्टम एनालिस्ट एण्ड डिजाइन मैनेजर	(a) 20% Academic Qualification (details break up as per agenda) (d) 65% for written Examination (minimum 50% marks is compulsory for qualifying for interview) (b) 15% for Interview

प्रोग्रामर	(c) 20% Academic Qualification (details break up as per agenda) (e) 65% for written Examination (minimum 50% marks is compulsory for qualifying for interview) (d) 15% for Interview

89/08 विश्वविद्यालय के स्वंय के स्रोत से स्वीकृत सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद के सम्बन्ध में निर्णयार्थ प्रस्ताव।

कार्यसूची विवरण के साथ संलग्न राज्य सरकार के पत्र कमांक प.8 शिक्षा–4/2006 पार्ट दिनांक 28.07.14 को अवलोकन किया गया जिसमें यह उल्लेख है कि विश्वविद्यालय अपनी वित्तिय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद को समाप्त कर सकता है। विश्वविद्यालय की वित्तिय स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रबंध मंडल द्वारा सहायक जनसंपर्क अधिकारी के पद को समाप्त करने का निर्णय किया गया।

Contd—5

इस पद पर नियुक्ति कार्मिक की स्थिति के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श करते हुए प्रबंध मंडल द्वारा निर्णय किया कि यदि उक्त कार्मिक अपनी स्थिति का उल्लेख करते हुए आवेदन प्रस्तुत करता है तो उस कार्मिक को लिपिक ग्रेड– ~~प्रथम~~ [द्वितीय] (कनि0 लिपिक) के पद पर राज्य सरकार की अनुमति से समायोजित करने पर विचार किया जा सकता है।

89/09 निदेशक(मुख्यालय) में से एक निदेशक को प्रबंघ मंडल का सदस्य मनोनीत किए जाने का प्रस्ताव।

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय 1987 में वर्णित स्टेच्युट्स 07 1(C) में उल्लेखित प्रावधान One Director not being the director of a Regional Centre के तहत प्रबंध मंडल द्वारा निदेशक (शोध) पदेन को प्रबंध मंडल का सदस्य बनाए जाने का निर्णय किया गया।

89/10 परीवीक्षा काल में अधिकारियों, शिक्षकों एवं कार्मिकों के नवीन पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र अन्य संस्थाओं को अग्रेषित किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय।

नव नियुक्त कार्मिकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीवीक्षा काल में अधिकारियों, शिक्षकों एवं कार्मिकों के अन्य नवीन पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र अन्य संस्थाओं को अग्रेषित किए जाने का निर्णय किया गया। उक्त निर्णय पूर्व में नियुक्ति पा चुके अधिकारियों, शिक्षकों एवं कार्मिकों पर भी लागू माना जाएगा तथा भविष्य में नियुक्ति पाने वाले अधिकारियों, शिक्षकों एवं कार्मिकों के नियुक्ति आदेश में इस आशय की शर्त को भी हटाऐ जाने का निर्णय किया गया।

89/11 सामग्री उत्पादन एवं वितरण विभाग में कागजों की खरीद एवं छपाई आदि से सम्बन्धित शिकायत की ए0सी0डी0 से प्राप्त रिपोर्ट अवलोकन एवं इस क्रम में विभागीय जांच समिति के गठन की कार्यवाही सूचनार्थ।

सदन द्वारा समस्त कार्यवाही का अवलोकन किया गया एवं सदन को बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि कार्यसूची विवरण लिखे जाने के उपरांत पूर्व में नियुक्त जांच अधिकारी श्री बी0एल0 आर्य द्वारा जांच किए जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है, अतः नवीन जांच अधिकारी की नियुक्ति भी प्रस्तावित है, सदन द्वारा जांच अधिकारी की नियुक्ति हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किए जाने का निर्णय किया गया।

कार्यवृत्त पुष्टि

89/12 श्री राकेश शर्मा, निजी सचिव, कुलपति द्वारा अवकाश हेतु प्रस्तुत चिकित्सक के प्रमाण पत्र की प्रारंभिक जांच के तथ्यों के सम्बन्ध में निर्णय।

माननीय सदस्यों द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने के बाद निजी सचिव, कुलपति के पद पर कार्यरत कार्मिक द्वारा इस प्रकार के कृत्य करने को अत्यंत गंभीर मानते हुए इस सम्बन्ध में 16 सीसीए के तहत जांच करवाए जाने का निर्णय किया तथा जांच के दौरान सम्बन्धित कार्मिक का पदस्थापन कुलपति सचिवालय के स्थान पद अन्य विभाग में किए जाने का निर्णय लिया गया तथा भविष्य में इस पद पर नियुक्त कार्मिक को विश्वविद्यालय के अन्य विभागों में कार्य की आवश्यकतानुसार स्थानांतरित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

89/13 सहायक आचार्य (रसायन शास्त्र, अर्थ शास्त्र एवं प्राणी शास्त्र)के पद हेतु दिनांक 18 सितंबर 2014 को आयोजित साक्षात्कार के क्रम में चयन समिति की अनुशंसाऐं अवलोकन एवं अनुमादनार्थ।

सहायक आचार्य के पद पद भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया के उपरांत दिनांक 18 सितंबर 2014 को आयोजित साक्षात्कार के क्रम में चयन समिति की अनुशंसाऐं सदन के पटल पर खोली गई, चयन समिति की अनुशंसाओं को (चयनित एवं वेटिंग लिस्ट के अभ्यार्थियों सहित) प्रबंध मंडल द्वारा अनुमोदित करते हुए निम्नलिखित पदों पर उनके नाम के सम्मुख चयनित अभ्यार्थियों को विश्वविद्यलय में नियुक्ति प्रदान किए जाने का निर्णय किया गयाः–

क्रम संख्या	पद एवं विषय	चयनित अभ्यार्थी का नाम	वेटिंग लिस्ट
01	सहायक आचार्य, रसायन शास्त्र	डा0 सुनील कुमार जांगिड़	डा0 रंजीत कौर
02	सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र	श्री सुरेन्द्र कुमार कुलश्रेष्ठ	श्री अजीत कुमार साहू
03	सहायक आचार्य, प्राणी शास्त्र	श्री संदीप हूड्डा	श्री अवधेश शर्मा अनिल

89/14 ह्युमन वेल्युज सेंटर की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

ह्युमन वेल्युज सेंटर (मानवीय मूल्य केन्द्र) की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए बजट प्रावधान के लिए वित्त समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

89/15 दूरस्थ शिक्षा परिषद से वित्तिय वर्ष 2014–15 में विकास अनुदान प्राप्त करने हेतु प्राप्त अंडरटेकिंग अनुमादनार्थ।

दूरस्थ शिक्षा परिषद से वित्तिय वर्ष 2014–15 में विकास अनुदान प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालय की ओर से दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा चाही गई अंडरटेकिंग दिए जाने का निर्णय किया गया।

89/16 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र कमांक युजीसी/डीईबी/मान्यता/2014–15 दिनांक 02 सितंबर 2014 (~~परि0 01 संलग्न~~)द्वारा पाठ्यक्रमों की मान्यता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप अनुमोदनार्थ ।

पाठ्यक्रमों की मान्यता के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की ओर से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चाहा गया शपथ पत्र दिए जाने का निर्णय किया गया।

89/17 निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र के पद हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति में विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन।

माननीय कुलपति महोदय द्वारा सदन के पटल पर प्रस्तुत दस विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन किया गया।

तत्पश्चात आसन के प्रति धन्यवाद ज्ञाप्ति करने के साथ ही बैठक समाप्त घोषित की गई।

(बी0एल0कोठारी)
कुलसचिव एवं
सचिव, प्रबंध मंडल
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,कोटा।

कार्यालय प्रति

पत्रा०— 01
(निर्णय क्र. 89/09)

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग

क्रमांकः प. 8(8) शिक्षा–4/2002पार्ट जयपुर, दिनांकः 28.7.2014

कुलसचिव,
वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय,
कोटा।

विषयः–वि.वि. में रिक्त पदों के स्थान पर नये पद सृजित करने एवं आस्थगित पदों को आस्थगन से मुक्त करने एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिक रखने की अनुमति प्रदान करने बाबत्।

संदर्भः–कुलपति महोदय का पत्रांक व.म.खु.वि.वि./कुस/2014/1882, दिनांक 24.06 2014,एफ1/वीसीएस/2014/293 दिनांक 03.07. 2014,292 दिनांक 03.07.2014 एंव 306 दिनांक 10.07.2014।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के संबंध में निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में निम्नलिखित पदों के सृजन की सहमति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:–

1. मशीन विद मेन,(30पद) उक्त पद वित्त विभाग को आदेश दिनांक 01.05. 2014 के अनुसार भरे जायेगें।
2. सहायक कुलसचिव–(06पद) वेतन श्रृखंला रूपये 15,600–39100 ग्रेड पे रूपये 5400।
3. सिस्टम एनालिस्ट एण्ड डिजाईन मैनेजर (01पद) वेतन श्रृखंला रूपये 15,600–39100 रूपये ग्रेड पे रूपये 5400।
4. प्रोग्रामर (01पद) वेतन श्रृखंला रूपये 9300–34800 ग्रेड पे रूपये 4800।

उक्त सभी पद निर्धारित अर्हताधारी व्यक्तियों से नियमानुसार भरे जायेगें।

उक्त स्वीकृति निम्नलिखित पदों को विलोपित किये जाने की शर्त पर प्रदान की जा रही है:–

1. निदेशक, विज्ञान एवं तकनीकी (01पद) पे बैण्ड रूपये 37400–67,000 ग्रेड पे रूपये 10,000। (उक्त पद बजट निर्णायक समिति 2012–13 में आस्थगित किया गया था)

Mr. Rajendra Maurya Jee

Registrar

1/2

No: 1500 (PAR) Date: 04.08.14
Put up
Registrar

542
04/08/14

Contd-2

2. निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें (01पद) पे बैण्ड रूपये 37400–67,000 ग्रेड पे रूपये 10,000। (उक्त पद बजट निर्णायक समिति 2012–13 में आस्थगित किया गया था)
3. निदेशक,योजना एवं विकास (01पद) पे बैण्ड रूपये 37400–67,000 ग्रेड पे रूपये 10,000।
4. पुस्तकालयाध्यक्ष, (01पद) पे बैण्ड रूपये 37400–67,000 ग्रेड पे रूपये 10,000। (उक्त पद बजट निर्णायक समिति 2012–13 में आस्थगित किया गया था)
5. कनिष्ठ लिपिक, (12पद) पे बैण्ड रूपये 5200–20200 ग्रेड पे रूपये 2400। (आस्थगित पद)

यह स्वीकृति वित्त विभाग के आईडी संख्या 101402958 दिनांक 28.07.2014 द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जा रही है।

भवदीय,

28/7/14

(डा0 वेंकट रमणी)
संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
2. संयुक्त सचिव, वित्त(व्यय–1) विभाग।
3. निदेशक, बजट वित्त विभाग।
4. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग।
5. लेखाधिकारी उच्च शिक्षा।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

2/2

कार्यालय प्रति

परि० — 02
(सर्कुलर क्रं. 89/09)

Government of Rajasthan
Finance (Budget) Department

No. : F.9 (1) FD-1(1) Bud 2012

Jaipur, Dated: 01.05.2014

Circular

Sub: - Revised rate for hiring of computers.

1. In partial modification of earlier Circular No. F.9(1) FD-1(1) Bud 2010 Jaipur, dated 25 July, 2011, the ceiling of expenditure up to Rs. 6500/- per month for hiring of computer (along with trained personnel) is hereby revised up to Rs. 8000/- per month per computer.
2. The specification of machine prescribed in Circular No F.9(1) FD-1(1) Bud 2004 dated 28.07.2008, to be hired on above revised rates, is also revised as under:-

   Computer- Intel Core i3 / Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 2/4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office. Responsibility of software license will be borne by the contractor.

   Printer- Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix / inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

   UPS - Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.
3. Computer (along with personnel) will be hired from service providing agency only as per Circular No. F.1(4) FD/ Rules/ 2011 dated 17.06.2011 of Finance (Rules) Department.
4. All other terms and conditions for hiring of computer (along with personnel) as contained in the Circular No. F.9(1) FD-1(1) Bud/ 2004 dated 28.07.2008 would remain the same.

This circular shall be applicable on hiring of computers with revised specification on or after 01.05.2014.

सिद्धार्थ

(Siddharth Mahajan)
Special Secretary, Finance (Budget)

Copy forwarded for information and necessary action :-

1. Additional Chief Secretary to H.E. Governor, Rajasthan, Jaipur.
2. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. Special Assistants/Private Secretary to All Ministers/ State Ministers, Rajasthan, Jaipur.
4. All Addl. Chief Secretary /Principal Secretary/ Secretary/ Spl. Secretary to Govt., Rajasthan, Jaipur.
5. Private Secretary to Chief Secretary.
6. Principal Accountant General (Civil Audit/Receipts and Commercial Audit/A&E), Rajasthan.
7. All Head of the Departments (including Collectors) Rajasthan, Jaipur.
8. All CEOs of PSEs / Corporations / Boards.
9. All Treasury Officers of Rajasthan.
10. Joint Secretaries/Dy. Secretaries, Finance Department.
11. System Analyst, Finance (Computer Cell) Department for uploading the Circular on the website.
12. Director, DIPR, Rajasthan, Jaipur.

Copy for information :-

1. Secretary, Rajasthan Vidhan Sabha, Jaipur.
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Lokayaukt, Rajasthan, Jaipur.
4. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Rajasthan, Ajmer.

(M.L. Acharya)
DSF (Budget)

[05 / 2014]

37

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा।
(बैठक प्रकोष्ठ)

क्रमांकः–वमखुविवि / कुस(बैठक) / 14 / 5066 दिनांकः– 15-10-14

कार्यवाही विवरण में संयोजन

विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 89 वीं बैठक दिनांक 19 सितंबर 2014 का कार्यवाही विवरण माननीय सदस्यगणों को दिनांक 25.09.2014 को प्रेषित कर दस दिवस में टिप्पणी मांगी गई थी, इस क्रम में यह संज्ञान में आया है कि बैठक के दौरान निर्णय संख्या 89/06 एवं 89/07 पर चर्चा के दौरान निम्नानुसार भी निर्णय लिया गया था कि :–

"रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार हेतु रिक्त एक पद के विरूद्ध अधिकतम 05 अभ्यार्थियों को तथा जिस संवर्ग में दो पद रिक्त है उनमें दस अभ्यार्थियों को तथा जिस संवर्ग में तीन पद रिक्त है उनमें अधिकतम 15 अभ्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए।"

अतः माननीय कुलपति महोदय की आज्ञा से बैठक के दौरान हुए उक्त निर्णय को कार्यवाही विवरण में निर्णय संख्या 89/07 का बाद निम्नानुसार संयोजन किए जाने के आदेश जारी किए जाते हैः–

"उपरोक्त के अतिरिक्त सदन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार हेतु रिक्त एक पद के विरूद्ध अधिकतम 05 अभ्यार्थियों को तथा जिस संवर्ग में दो पद रिक्त है उनमें दस अभ्यार्थियों को तथा जिस संवर्ग में तीन पद रिक्त हैं उनमें अधिकतम 15 अभ्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए।"

आज्ञा से

5067-74
15/10/14

कुलसचिव

प्रतिलिपी सूचनार्थ :–

1. सचिव, कुलपति सचिवालय,वमखुविवि,कोटा।
2. समस्त सदस्य, प्रबंध मंडल,वमखुविवि ।

कुलसचिव